न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 27 / 2024 निर्णय दिनांक 06.11.2024
जीसीएमएस नम्बर 2024 / 72

मघसिंह पुत्र लिच्छुराम जाति पुरोहित निवासी ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर 2. रतनकंवर पत्नी मुरलीधर जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थितिः—

1. श्री राजाराम नैण अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।
3. प्रतिवादीगण सं. 2 की ओर से स्वयं उपस्थित।

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88,89 आरटीए व धारा 136 एलआर एक्ट</u>

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी दावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से निवेदन करता है कि खेत खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के चाचा सीताराम पुत्र गणेशाराम जाति पुरोहित निवासी तोलियासर के नाम से रही है। वादी के चाचा सीताराम ने अपने जीवनकाल में उक्त खेत की एक वसीयत वादी व वादी के भाई फूसाराम, मुरलीधर के पक्ष में की थी। वादी के चाचा सीताराम की मृत्युपरान्त उक्त खेत की खातेदारी जरिये इन्तकाल संख्या 60 दिनांक 20.10.2008 के द्वारा वादी व फूसाराम, मुरलीधर के नाम से बहिस्सा बराबर रूप से दर्ज हो गई। वादी के चाचा सीताराम ने जब उक्त खेत की वसीयत की थी उस समय मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य कोई आई.डी. का चलन नहीं था। वादी ने उक्त खेत में वर्णित अपने 1 / 3 हिस्सा भूमि में से 843 / 33400 हिस्सा मदनसिंह पुत्र मालसिंह पुरोहित निवासी रेवाड़ा को व 843 / 16700 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 को विक्रय कर दिया फिर वादी के भाई फूसाराम व मुरली ने उक्त खेत में अपने 2 / 3 हिस्सा भूमि को वादी को विक्रय कर दिया तथा उक्त मदनसिंह ने भी अपने 843 / 33400 हिस्सा भूमि को वादी को विक्रय कर दिया जिस पर उक्त खेत में वादी के नाम 15857 / 16700 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई और प्रतिवादी संख्या 2 के नाम 843 / 16700 हिस्सा की खातेदारी दर्ज चली आ रही है। सन् 1995 से पूर्व आईडी का चलन नहीं होने के कारण वादगत खेत में दर्ज चले आ रहे नाम के बारे में कोई गौर नहीं किया जाता था परन्तु सन् 1995 के बाद सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की आई.डी. शुरू कर दी और हर आम व खास ने वोटर कार्ड, राशन कार्ड व खातेदारी खेतों में दर्ज चले आ रहे अपने नामों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया और नामों में अन्तर आने लगा और इसी वजह से वादी का नाम भी वादगत खेत में आज तक मघाराम पुत्र लच्छीराम अंकित चला आ रहा है जबकि वादी के अन्य सरकारी दस्तावेजों में मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित है। वादी अनपढ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है जिसे अपने घर, परिवार, समाज, रिश्तेदार व गांव में मघसिंह पत्र लिच्छुराम के नाम से जाना व पुकारा जाता है और जब सन् 1995 के बाद सरकारी दस्तावेज बनने शुरू हुए तो तमाम दस्ता[illegible] राशन कार्ड, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड आदि में वा[illegible] का[illegible]म मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित करा दिया गया जो आज तक बदस्तुर चला आ रहा है। [illegible] वादी का सही व वास्तविक व रिकार्ड अनुसार नाम मघसिंह पुत्र लिच्छुराम है। वादी ने उपरोक्त खसरा की भूमि पर के.सी.सी. बनाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया व इन्तकाल, जमाबंदी आदि की नकले दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

3

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

12.01.2024 को निकलवाई व के.सी.सी. ऋण हेतु बैंक में सम्पर्क किया तो बैंक वालों ने वादी व वादी के पिता के नाम में अन्तर होने के कारण ऋण आवेदन स्वीकार नहीं किया व वादी को कई तरह से परेशानियां हुई। वादी का सही व वास्तविक व प्रशासनिक नाम शुरू से ही मघसिंह व पिता का नाम लिच्छुराम रहा है जिसको वादी राजस्व रिकार्ड में सही रूप से घोषित करवाकर शुद्धि करवाने का अधिकारी है। वादी का शुरू से ही नाम मघसिंह पुत्र लिच्छुराम रहा है वादी का कभी भी मघाराम पुत्र लच्छीराम नाम नहीं रहा है, केवल राजस्व रिकार्ड वादी व वादी के पिता का नाम गलत अंकित चला आ रहा है। वादी के अन्य तमाम दस्तावेजों में मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित है। उपरोक्त सभी दस्तावेजातों की प्रमाणित प्रतियां अवलोकनार्थ श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। गांव तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में मघाराम पुत्र लच्छीराम या मघसिंह पुत्र लिच्छुराम जाति पुरोहित के नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। वर्णित खसरा भूमि में वादी का अपने हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग चला आ रहा है इसलिए वादी उपरोक्त खसरा की भूमि में अपना सही नाम मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। उपरोक्त खसरा भूमि में वादी का गलत नाम अंकित होने के कारण वादी को उपरोक्त खसरा भूमि पर के. सी. सी. बनाने, ट्यूब बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है व वादी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे है। वादगत खेत में वादी का नाम व उसके पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत अंकित चला आ रहा है, इस बाबत वादी ने दिनांक 12.01.2024 को प्रतिवादी सं. 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम मघसिंह पुत्र लिच्छुराम है जबकि वादगत खसरा भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदार के तौर पर मेरा नाम मघाराम पुत्र लच्छीराम अंकित चला आ रहा है जबकि मेरे अन्य तमाम दस्तावेजात मेरा सही नाम मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित चला आ रहा है उस हिसाब से दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में घोषित कर देवें तो प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ, बिना आदेश के राजस्व रिकार्ड में आपका नाम रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के नाम की शुद्धिकरण कर राजस्व रिकार्ड में घोषित करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में वादी के पास रिकार्ड दुरूस्ती हेतु व अपने सही नाम की घोषणा हेतु यह घोषणात्मक दावा श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में वादी का नाम मघाराम पुत्र लच्छीराम गलत अंकित चला आ रहा है जिसकी दुरूस्ती करवाने का वादी अधिकारी है परन्तु प्रतिवादी सं. 1 ने उक्त शुद्धि करने से स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया । इन्कारी की दिनांक से वादी को वाद हेतु हासिल है व वादाधिकार वादी की खरीद शुदा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि होने से प्राप्त है। दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है। दावा में स्टेट आवश्यक पक्षकार है स्टेट को पक्षकार बनाये जाने से पूर्व धारा 80 सी.पी. सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक होता है । दावा आवश्यक प्रकृति का है, अगर स्टेट को दो माह का नोटिस देकर दावा प्रस्तुत किया गया तो वादी को भारी क्षति होगी। यानि वादगत खेत में वादी का नाम गलत अंकित होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इसलिए तुरन्त दावा पेश कर शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक हो गया है। स्टेट के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने हेतु अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी. के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय से छूट प्राप्त कर ली गई है। वादगत खसरा भूमि के सहखातेदार गौण प्रतिवादी संख्या 2 उपरोक्त खसरा भूमि की रिकार्डेड सहखातेदार होने के कारण फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादगत खेत रोही मौजा तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है इसलिए दावा सुनने का श्रीमान्जी को क्षेत्राधिकार हासिल है तथा दावा हर प्रकार से समयावधि के भीतर पूर्ण कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी का दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे-

(क) कि प्रतिवादी संख्या 1 को यह आदेशित किया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राजस्व मघाराम पुत्र लच्छीराम अंकित कर रखे है उसके स्थान पर उसका सही नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Umang Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मघसिंह व पिता का नाम लिच्छुराम घोषित किया जावे व उसकी पालना प्रतिवादी संख्या 1 से करवाई जावे।

(ख) कि वादगत खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के गलत नाम मघाराम पुत्र लच्छीराम की जगह मघसिंह पुत्र लिच्छुराम अंकित किया जाकर दुरूस्ति किए जाने का आदेश प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जारी किया जावे।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावे वह भी आज्ञप्त फरमाया जावे।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकाराज ने जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय उपस्थित होकर वादी का नाम शुद्ध किया जाता है बाबत् अपनी सहमति प्रदान की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट एवं प्रतिवादी को वादी वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादी वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के अशुद्ध नाम मघाराम पुत्र लच्छीराम के स्थान पर मघसिंह पुत्र लिच्छुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जातें है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(उर्मा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी उमा मित्तल आरएएस

उनवान

मघसिंह पुत्र लिच्छुराम जाति पुरोहित निवासी ग्राम तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर
2. रतनकंवर पत्नी मुरलीधर जाति पुरोहित निवासी तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

मुकदमा नम्बर 27 / 2024

दावा बाबतः घोषणात्मक व रिकॉर्ड दुरूस्ती

निर्णय दिनांकः 06.11.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री राजाराम नैण अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 2 स्वंय व पैरोकारराज स्टेट की ओर से मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **कि खेत खसरा नम्बर 108 तादादी 10.0200 हैक्टेयर वाकेरोही तोलियासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड में वादी के अशुद्ध नाम मघाराम पुत्र लच्छीराम के स्थान पर मघसिंह पुत्र लिच्छुराम घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जातें है। तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।**

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 06 माह 11 सन् 2024 को जारी किया गया ।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.11.25 15:27:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)